

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक : आवेदन क्रमांक 2025-2026/9126

जयपुर, दिनांक : 3-10-2026

अनापत्ति प्रमाण-पत्र
(NO OBJECTION CERTIFICATE)

विषय : निजी क्षेत्र में दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नवीन पशुपालन डिप्लोमा संस्थान की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के संबंध में।

संदर्भ :

1. राज्य सरकार द्वारा पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों की स्थापना एवं संचालन के संबंध में जारी विभागीय प्रक्रिया/दिशा-निर्देश/नीति-2025।
2. संस्था द्वारा राज-NOC/निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत आवेदन क्रमांक 2025-2026/9126
3. राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की संवीक्षा/भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 01-10-2026
4. सक्षम स्तर पर प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 02-10-2026

राज्य सरकार द्वारा पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों की स्थापना एवं संचालन हेतु निर्धारित विभागीय प्रक्रिया/दिशा-निर्देश/नीति-2025 के अंतर्गत Sunrise Integrated Education trust समिति/ट्रस्ट/संस्था, पंजीकृत कार्यालय, Sunrise University Bagad Rajput Alwar द्वारा Sunrise University Bagad Rajput कैपस, तहसील रामगढ़, जिला अलवर में प्रस्तावित “सनराइज वेटरनरी डिप्लोमा इन्स्टिट्यूट” की स्थापना एवं दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्रस्तुत आवेदन, संलग्न अभिलेखों, गठित समिति की संवीक्षा तथा भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट के परीक्षण उपरांत सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में राज्य सरकार द्वारा 50 छात्रों को डिप्लोमा अध्ययन कराये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जारी किया जाता है —

शर्तें

1. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल उपर्युक्त संस्था, स्थान एवं दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए मान्य होगा। इसका उपयोग किसी अन्य संस्था, स्थान, पाठ्यक्रम अथवा प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा।
2. संस्था को राज्य सरकार द्वारा जारी पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों की स्थापना/संचालन हेतु विभागीय प्रक्रिया/दिशा-निर्देश/नीति-2025, समय-समय पर जारी संशोधनों, आदेशों एवं दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना करनी होगी।
3. इस अनापत्ति प्रमाण-पत्र को किसी भी स्थिति में स्वतः पाठ्यक्रम संचालन/प्रवेश प्रारंभ करने की अनुमति नहीं माना जाएगा। संस्था द्वारा संबंधित सक्षम विश्वविद्यालय/प्राधिकरण से नियमानुसार सम्बद्धता/मान्यता एवं अन्य आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. संबंधित विश्वविद्यालय/सक्षम प्राधिकारी से विधिवत सम्बद्धता/मान्यता प्राप्त किए बिना संस्था द्वारा विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
5. संस्था में प्रवेश केवल राज्य सरकार, संबंधित विश्वविद्यालय एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया, पात्रता, सीट संख्या, आरक्षण प्रावधान एवं शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार ही किए जाएंगे।
6. संस्था को स्वीकृत/निर्धारित सीट क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देने का अधिकार नहीं होगा। सीट संख्या में किसी प्रकार की वृद्धि हेतु पृथक से नियमानुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
7. संस्था को नीति-2025 के अनुसार निर्धारित भूमि, भवन, कक्षा-कक्ष, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, प्रायोगिक प्रशिक्षण सुविधाएँ, पशुधन/पशु चिकित्सा संबंधी प्रशिक्षण संसाधन, फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य आधारभूत सुविधाएँ निरंतर उपलब्ध रखनी होंगी।
8. आवेदन एवं भौतिक निरीक्षण के समय संस्था द्वारा प्रदर्शित भूमि, भवन एवं अन्य परिसम्पत्तियों की स्थिति में राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे निर्धारित मानदण्ड प्रभावित होते हों।
9. संस्था द्वारा नीति में निर्धारित योग्यता एवं संख्या के अनुसार शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक कार्मिकों की नियुक्ति करनी होगी। संस्था को उपस्थिति एवं सेवा संबंधी अभिलेख संधारित किए जाएंगे।
10. संस्था में नीति के अनुसार CCTV कैमरे एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित एवं क्रियाशील रखी जाएगी। संस्था को कार्मिकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नियमानुसार सुरक्षित रखा जाएगा तथा मांग किए जाने पर विभाग/विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।
11. संस्था द्वारा विद्यार्थियों से केवल राज्य सरकार/संबंधित विश्वविद्यालय/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा अनुमत शुल्क ही लिया जाएगा। किसी भी प्रकार का अनधिकृत शुल्क/कैपिटेशन फीस वसूल नहीं की जाएगी।
12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के संबंध में राज्य सरकार के समय-समय पर लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
13. संस्था द्वारा छात्र-छात्राओं के लिए पेयजल, स्वच्छता, पृथक शौचालय, सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक छात्र सुविधाएँ निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी।

Digitally signed by DINESH KUMAR JANGID
Designation: Joint Secretary
Date: 2026.10.03 14:32:29 IST
Location: Jaipur,Raj,IN

14. संस्था द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, शैक्षणिक अवधि, प्रायोगिक प्रशिक्षण, परीक्षा व्यवस्था तथा अन्य शैक्षणिक मानदण्डों की पूर्ण पालना की जाएगी।
15. संस्था राज्य सरकार, पशुपालन विभाग, संबंधित विश्वविद्यालय अथवा इनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/निरीक्षण दल को संस्था के निरीक्षण एवं अभिलेखों के परीक्षण हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। निरीक्षण के समय मांगे गए सभी मूल अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
16. राज्य सरकार/संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण में पाई गई कमियों को निर्धारित समयवधि में दूर करना संस्था की जिम्मेदारी होगी।
17. संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन अथवा अन्य किसी स्तर पर प्रस्तुत की गई सूचना, घोषणा, शपथ-पत्र एवं दस्तावेज सत्य एवं प्रमाणिक होने चाहिए। किसी भी स्तर पर कोई तथ्य असत्य, भ्रामक, कूटरचित अथवा छिपाया हुआ पाया जाने पर यह NOC निरस्त किए जाने के साथ-साथ नियमानुसार अन्य कार्रवाई की जा सकेगी।
18. संस्था/ट्रस्ट/सोसायटी के नाम, प्रबंधन, संस्थान के नाम अथवा संस्थान के स्थान में परिवर्तन राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
19. संस्था द्वारा पाठ्यक्रम बंद करने, स्थान परिवर्तन करने, प्रबंधन हस्तांतरण करने अथवा संस्था की प्रकृति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने से पूर्व राज्य सरकार एवं संबंधित विश्वविद्यालय की नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
20. राज्य सरकार द्वारा नीति के अनुसार निर्धारित पंजीकरण शुल्क, निरीक्षण शुल्क, प्रतिभूति/अनापत राशि अथवा अन्य देय राशि नियत समय में एवं निर्धारित बजट मद में जमा करवाना संस्था की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में नीति-2025 एवं समय-समय पर जारी आदेश प्रभावी होंगे।
21. संस्था द्वारा नीति में निर्धारित प्रतिभूति/अनापत राशि के संबंध में लागू सभी शर्तों की पालना की जाएगी। इसकी वापसी/समायोजन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा।
22. संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने मात्र से राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति/रोजगार का कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
23. संस्था द्वारा अपने विज्ञापन, वेबसाइट, प्रॉस्पेक्टस अथवा अन्य प्रचार सामग्री में ऐसा कोई दावा नहीं किया जाएगा जिससे यह प्रतीत हो कि राज्य सरकार ने संस्था को रोजगार, नियुक्ति अथवा किसी अन्य लाभ की गारंटी प्रदान की है।
24. संस्था द्वारा जारी विज्ञापन/प्रचार सामग्री में NOC एवं सम्बद्धता/मान्यता की वास्तविक स्थिति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी।
25. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संस्था से मांगी गई छात्र संख्या, प्रवेश, परीक्षा परिणाम, स्टाफ, आधारभूत सुविधाओं तथा अन्य सूचनाएँ निर्धारित समय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
26. संस्था द्वारा लागू विधिक प्रावधानों, अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, स्थानीय निकाय संबंधी अनुमतियों तथा अन्य आवश्यक वैधानिक प्रमाण-पत्रों को वैध एवं अद्यतन रखा जाएगा।
27. संस्था के संचालन से संबंधित किसी न्यायिक विवाद, भूमि विवाद अथवा अन्य विधिक दायित्व के लिए संबंधित संस्था/ट्रस्ट/सोसायटी स्वयं उत्तरदायी होगी।
28. संस्था द्वारा नीति-2025 अथवा इस अनापति प्रमाण-पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर राज्य सरकार को, संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, NOC को निलंबित/निरस्त करने अथवा नियमानुसार अन्य कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
29. राज्य सरकार द्वारा पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों के संबंध में भविष्य में जारी किए जाने वाले संशोधित नियम, नीति, आदेश, परिपत्र एवं दिशा-निर्देश संस्था पर बाध्यकारी होंगे।
30. यह अनापति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय/सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्बद्धता/मान्यता प्रदान किए जाने की गारंटी नहीं है। सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने का निर्णय संबंधित विश्वविद्यालय/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने लागू नियमों एवं मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा।
31. संस्था द्वारा राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयवधि में आवश्यक सम्बद्धता/मान्यता प्राप्त नहीं किए जाने अथवा निर्धारित अवधि में संस्थान प्रारंभ नहीं किए जाने की स्थिति में NOC की वैधता नीति-2025 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होगी।
32. उपर्युक्त के अतिरिक्त संस्था पर पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों की स्थापना/संचालन हेतु विभागीय प्रक्रिया/दिशा-निर्देश/नीति-2025 की समस्त शर्तें स्वतः लागू एवं बाध्यकारी होंगी, भले ही उनका इस NOC में पृथक से उल्लेख नहीं किया गया हो।
33. उक्त अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व अगर डिप्लोमा कोर्स कराया जाना पाया जाता है तो पूर्व में कराये गए कोर्स को इस अनापति प्रमाण पत्र से वैधता नहीं मानी जाएगी, अनापति भूतलक्षी प्रभाव से मान्य नहीं होगी, पूर्व के किसी भी मामले के लिए उक्त अनापति प्रमाण पत्र को किसी भी सक्षम authority / माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
34. यह अनापति प्रमाण-पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित याचिका/याचिकाओं के निर्णयाधीन होने पर यह अनापति प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत जारी किया जाता है।

Digitally signed by DINESH KUMAR JANGID
Designation: Joint Secretary
Date: 2026-10-03 14:32:29 IST
Location: Jaipur,Raj,IN

v-2.1

आज्ञा से,
(दिनेश कुमार जंगिड़)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, पशुपालन एवं गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. कुल सचिव, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, राजुवास बीकानेर /RUVAS जोबनेर, राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर, जिला अलवर।
6. संबंधित उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़, जिला अलवर।
7. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जिला अलवर।
8. नोडल अधिकारी, राज-NOC/पशुपालन डिप्लोमा संस्थान पोर्टल, पशुपालन विभाग।
9. अध्यक्ष/सचिव, Sunrise Integrated Education trust समिति/ट्रस्ट/संस्था, Sunrise University Bagad Rajput Alwar
10. संबंधित शाखा/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव
पशुपालन विभाग

Digitally signed by DINESH
KUMAR JANGID
Designation: Joint Secretary
Date: 2026-10-03 14:32:29 IST
Location: Jaipur,Raj,IN